

प्रेषक,

सुधीर सिंह चौहान,
सुयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

१—समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

३—निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उ०प्र० लखनऊ।

२—समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

४—समस्त नगर आयुक्त,
नगर निगम,
उत्तर प्रदेश

नगर विकास अनुभाग—९

लखनऊ दिनांक १२ सितम्बर, 2016

विषय— भारत सरकार के पथ विकेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्य विनियमन) अधिनियम, 2014 की धारा—३८ की उपधारा—१ के अधीन उत्तर प्रदेश पथ विकेताओं हेतु योजना 2016 के प्रख्यापन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के पथ विकेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्य विनियमन) अधिनियम, 2014 की धारा—३८ की उपधारा—१ की द्वितीय अनुसूची के उपबन्धों के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या—८१८/ नौ—९—१६—१७०ज / २००६ दिनांक ०८.०९.१६ द्वारा (उत्तर प्रदेश पथ विकेताओं हेतु योजना 2016) प्रख्यापित की गयी है। उक्त योजना की प्रति अनुपालनार्थ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

कृपया योजना के प्राविधानों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक—यथोक्त

भवदीय,

(सुधीर सिंह चौहान)
सुयुक्त सचिव।

L-

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1— प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
- 2— स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- 3— समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ०प्र० शासन।
- 4— निजी सचिव, मा० मंत्री जी नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
- 5— समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- 6— समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत उत्तर प्रदेश (द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय)।
- 7— निदेशक, सूडा उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 8— संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशाबाग लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि कृपया संलग्न अधिसूचना संख्या—818/नौ—9—16—170ज/2006 दिनांक 08.09.16 के हिन्दी एवं अंग्रेजी को सरकारी गजट उ०प्र० असाधारण विधायी परिषिष्ट भाग—4 खण्ड—ख में दिनांक 08.09.16 की तिथि में प्राथमिकता के आधार पर प्रकाशित कराकर उसकी 600 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 9— गार्ड फाइल/बेव साइट पर अपलोड हेतु।

आज्ञा से,

(सुधीर सिंह चौहान)

संयुक्त सचिव।